न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा
पीठासीन अधिकारी :- सन्तोष कुमार गोयल (आई.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : 55/2019

उनवान मुकदमा : हुकमसिंह उर्फ नवलसिंह पुत्र गीताराम जाति राजपूत निवासी वार्ड नं. 22 मौहल्ला रोडवेज राजाखेड़ा तहसील राजाखेड़ा
------ वादी

बनाम

1- बाबूलाल
2- भूपालसिंह } पुत्रान गीताराम } जाति राजपूत नि. वार्ड न. 22 राजाखेड़ा
3- तहसीलदार राजाखेड़ा बहैसियत लेन्ड होल्डर,
---- प्रतिवादीगण

दावा स्वत्व घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज बख्वारा कागज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति :- श्री अश्विनी कुमार जैन वकील वादी

निर्णय दिनांक :- 29/11/2019

वादी द्वारा यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 एवं 53, 54 आर.टी. एक्ट इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि विवादित आराजी ख. न. 3308 रकबा 15 बिस्वा, 3324 रकबा 11 बिस्वा, 3328 रकबा 10 बिस्वा, 3330 रकबा 16 बि., 3331 रकबा 02 बि., 3332 रकबा 06 बिस्वा, 3333 रकबा 13 बि. कुल किता 7 कुल रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा स्थित ग्राम महदवार न.2 तहसील राजाखेड़ा, वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है इसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। यह आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 को मौसी रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 25-1-83 के द्वारा प्राप्त हुई है। जिस वक्त वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित की गयी थी। तब वादी नाबालिग था। इस वसीयत में वसीयतकर्ता द्वारा वादी का बोलचाल का नाम हुकमसिंह दर्ज करा दिया जबकि वास्तविक

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

क्रमश -2

नाम नवलसिंह है जो समस्त दस्तावेजो राशन कार्ड, वोटर आई.डी, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड मे दर्ज है। वसीयतकर्ता पन्नालाल की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे नामान्तरकरण खोला गया। जब वादी ने कृषि भूमि पर ऋण प्राप्त करने के लिए राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त की गयी तब उसे इस गलती का पता चला प्रतिवादी सं. 3 को इस बारे मे बताने पर उन्होंने न्यायालय मे इसकी शुद्धि कराने हेतु कहा। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने इसके इन्कार किया तथा दुरुस्त करने से इन्कार कर दिया। तब वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड मे इकमासिंह के स्थान पर शुद्ध कर नवल सिंह नाम दर्ज करने के आदेश देने तथा, आराजी का वादी मौरूसी एवं वारिस दुरुस्त करने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने के अनुतोष के लिए यह दावा न्यायालय मे पेश किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 व 2 अपने अभिभाषक के साथ न्यायालय मे उपस्थित आये तथा उनकी ओर से दिनांक 02-8-2019 को राजीनामा पेश किया, जिसमे उनके द्वारा राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम इकमासिंह के स्थान पर नवल सिंह करने पर अपनी सहमति प्रकट की तथा दुरुस्त न करने पर भी सहमत होना भी बताया। दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया।

साक्ष्य वादी मे दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सं. 2070-73 प्रदर्श-1, असल वसीयतनामा प्रदर्श-2, नकल जमाबन्दी स. 2070-73 खाता सं. 64 प्रदर्श-3 पेश किये है तथा आधार कार्ड एवं वोटर आई.डी. की फोटो प्रतियां पेश की है तथा मौखिक साक्ष्य मे बयान वादी इकमासिंह उर्फ नवल सिंह तथा गवाह [illegible] कराये गये है।

बहस विद्वान अभिभाषक वादी एकपक्षीय सुनी गयी। अपनी बहस मे उनके द्वारा वाद पत्र के कथनों को दोहराया तथा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा स्वीकार होना

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

बाबत दुरुस्ती दावा डिग्री किये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वहस अधिभाषक वादी पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में कुसमाहिह के स्थान पर नवलसिंह वादी का नाम दर्ज करने हेतु आदेश देने हेतु निवेदन किया है। जहाँ तक नाम परिवर्तित करने का प्रश्न है यह अधिकार इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यदि कोई लिपिकीय त्रुटि है तो उसे शुद्ध किया जा सकता है। नाम को बदलने के आदेश इस न्यायालय द्वारा नहीं दिये जा सकते हैं। इसलिए यह प्रकरण इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। वादी को सिविल न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा इस अनुतोष को प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिये। इसलिए हम दावा खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः दावा वादी इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि नाम परिवर्तित करने हेतु वह अपना वाद सिविल न्यायालय प्रस्तुत करना चाहिये। पत्रावली कोमल कुमार होकर बाद तकमील शामिल रिकार्ड हो।

यह निर्णय आज दिनांक 29/11/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सन्तोषकुमार गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)
(राजा०)